FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

विक्रम सैनी बनाम प्रभूदयाल वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 249 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/418

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
..025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार गोठवाल एड. उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकिल प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को आगामी तारिख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184/6, 184/8 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0284 है0 राजस्व ग्राम गांवड़ी पटवार हल्का गांवड़ी तहसील नीमकाथाना का राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विद्युत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। ... को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय आदेश तलब किया जावकर पत्रावली ... 07.07.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:47:07 IST
Reason: SelfAttested

7/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 17/9/25 को पेश हो।

17/9/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 24.12.25 को पेश हो।

14.10.25 पत्रावली प्रार्थी व वकील प्रार्थी की ओर से वाद पत्र में मिसल तलबी के साथ प्रकरण विड्रा कर खारिज किये जाने प्रार्थना पत्र पेश होने पर आज तलब की गयी। प्रार्थी व वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर निवेदन किया कि हमारे बीच राजीनामा हो गया है अब प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः प्रकरण खारिज किया जावे।

प्रकरण हेतु कायम नहीं न्यायालय [illegible] किया ... प्रार्थी ... (राजेन्द्र ...) 450

प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी व वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत विधिवत् विड्रा की अनुमति के साथ खारीज किया जाता है प्रार्थी के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये, जिसकी पहचान वकील प्रार्थी द्वारा की गयी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

राजवीर सिंह यादव
पदेन अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:47:07 IST
Reason: SelfAttested